सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/स-4/डी- 1185 दिनांक 03.08.2020

प्रति,
समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/
संभागीय लेखा अधिकारी-1/2/संभागीय लेखापाल

विषयः- केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर का कार्यालय आदेश क्रमांक प्रशा-एक/विविध/Co.op.Society/का.आ.-37 दिनांक 22.7.2020 संलग्न कर, समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/ संभागीय लेखा अधिकारी-1/2/संभागीय लेखापालों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश में किये गये निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ नि.वि.1

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)–प्रथम,
मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्र.प्रशा.–एक / विविध / Co.op Society / का.आ.-37 दिनांक: 22.07.2020

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 15 (1) (c) के अनुसार, किसी भी शासकीय कर्मचारी को किसी भी निकाय में, चाहें वो निगमित हो अथवा नहीं, निर्वाचित पद धारण करने अथवा निर्वाचित पद हेतु किसी उम्मीदवार/उम्मीदवारों के पक्ष में मतार्थन/प्रचार करने के लिए शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में, मुख्यालय के पत्र संख्या 59- स्टाफ हक्दारी(नियम) / ए.आर./ 04-2015 दिनांक 28.02.2020 के द्वारा प्राप्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन F.No. 11013/1/2016-Estt.A-III दिनांक: 27/02/2020 के प्रावधानानुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी को किसी भी निकाय में, चाहें वो निगमित हो अथवा नहीं, निर्वाचित पद धारण करने के लिए दो कार्यकाल या 05 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए अनुमति दी जा सकती है।

साथ ही ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों ने दिनांक 05.08.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पहले निर्वाचित पद पर कार्यग्रहण कर लिया हो, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिन पर भ्रष्टाचार और प्रतिकूल ऑडिट पैरा आदि के आरोप हैं, उन्हें अपने वर्तमान कार्यकाल की पूर्ण अवधि को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

अतः संवर्ग नियंत्राधीन कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे कार्यालय में/कार्यालय के बाहर, किसी निकाय में, चाहे वह निगमित हों या न हों, कोई निर्वाचित पद धारण किये हो / कर रहे हों, जिसकी शासन से स्वीकृति नही ली गयी हो, तो तत्काल भ्रष्टाचार के आरोप और प्रतिकूल लेखा परीक्षा पैरा आदि सहित सम्पूर्ण जानकारी आवेदन (संलग्न प्रोफार्मा के साथ) प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार(ले./हक)-प्रथम के आदेश दिनांक 21.07.2020)

हस्ता./-
वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

क्र.प्रशा.–एक / विविध / Co.op Society / का.आ. 10-146 दिनांक 23 .07.2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है–

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–प्रथम , म.प्र., ग्वालियर
2. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक.)– द्वितीय, म.प्र., ग्वालियर
3. सचिवालय / वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन)कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)–प्रथम, म.प्र., ग्वालियर

SM-13 27/08/2020

H-102 28/07/2020

No. OE/SR-737 26.08.2020

Forwarded to WM I for n/a. pl.

AAO/WM I

AAO/Admn

D:\pankaj हिन्दी पत्र\forwarding letter.doc

4. सचिवालय / वरि. उपमहालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)–प्रथम, म.प्र., ग्वालियर

5. सचिवालय / उपमहालेखाकार (प्रशा.एवं पेंशन)कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक)–द्वितीय, म.प्र., ग्वालियर

6. सचिवालय / वरि.उपमहालेखाकार (निधि) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक)–द्वितोय, म.प्र., ग्वालियर

7. सचिवालय / उपमहालेखाकार (निर्माण लेखा) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.)–प्रथम म.प्र., 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462011

8. व.ले.अ. / कल्याण, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)– प्रथम, म.प्र., ग्वालियर

9. वेतन एवं लेखा अधिकारी

10. वरिष्ठ लेखा अधिकारी /प्रशासन,कार्यालय प्रधान महालेखाकार(ले व ह)- प्रथम, म.प्र. 53, अरेरा हिल्स,होशंगावाद रोड, भोपाल–46201

11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (ले व ह)- द्वितीय, म.प्र., ग्वालियर, कृपया समस्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी / कर्मचारियों की जानकारी में लायें

12. समस्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी / सहायक लेखा अधिकारी , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)– प्रथम, म.प्र., ग्वालियर, कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी में लायें

13. हिन्दी अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–प्रथम, कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी में लायें

14. सचिव महालेखाकार कार्यालय म.प्र. साख सहकारी समिति, मर्यादित ग्वालियर

15. सचिव, मनोरंजन क्लब / एस.ए.एस. एसोसिएसन / जी.ए.ए. एसोसिएसन

16. सूचना पटल / गार्ड फाइल

OE:
E100577674 5 IN

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 23/7/2020

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / प्रशा. एक

28 JUL 2020

2147

D:\pankaj\हिन्दी पत्र\forwarding letter.doc

236 C

PROFORMA

Name of the Government Servant and Designation	Name of the body and the elective office held by the Government servant from time to time.	The different periods during which he/ she has held an elective office in the body	Whether any family member or relative of the Government servant is holding or has held any elective office in the body.	Whether the Government servant receives any remuneration from the body as honorarium/ allowance etc.	Any perks or facilities given by the body viz. car/ air-conditioner etc.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)